(सिविल) की वरीयता सूची में स्थान देते समय इसके बाद जारी किये गये आदेश के कनिष्ठ अभियंताओं के बाद स्थान दिया गया; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कनिष्ठ अभियंताओं को रोस्टर प्वाइंट के अनुसार रखा गया था, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। स्थायीकरण हेतु 29-4-1988 को 36 जूनियर इंजीनियरों (सिविल) की पात्रता सूची जारी की गई जिसमें से 23 को स्थायी कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सीधे भर्ती द्वारा भरे गये पदों और सेवाओं में स्थायीकरण के समय आरक्षण की आवश्यकता 1-4-1988 से समाप्त हो गई है।

Eviction of unauthorised occupants from govt. accommodation

1736. SHRI VIREN J. SHAH : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what are the details of cases relating to the unauthorised occupants of Government accommodation occupied by ex-MPs, ex-Ministers, Government Officers and other in which stay orders have been obtained by such unauthorised occupants from the Courts during the year 1992, 1993 and so far in 1994;

(b) in how many cases Government have filed appeals against the stay orders granted by the Courts; and in how many cases no appeals were filed and what are the reasons therefor;

(c) in how many cases the stay orders have been got vacated; and

(d) what steps Government have so far taken to expedite the remaining cases ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c) The details of cases relating to the eviction of unauthorised occupants of Government accommodation occupied by Ex-MPs, Ex-Ministers, Government Officers and other in which stay orders have been obtained by such unauthorised occupants from the courts during the years 1992, 1993 and upto February, 1994 and the number of cases disposed of, stay vacated, is given below :—

Year	No. of Court cases	No. of Cases disposed	No. of cases wherein stay has been vacated
1992	152	131	102
1993	164	99	86
1994 (till Feb)	27	10	10

(d) The following steps have been taken to pursue the pending cases :

(i) Replies/Counter Affidavits have been filed, wherever required;
(ii) Government Counsels are briefed well in time.
(iii) Ensured that Records/Documents are produced in the Courts whenever so required.

Construction of Secretariat for Daman Diu Dadra Nagar Haveli

1737. SHRIMATI KAMLA SINHA :
DR. BAPU KALDATE :

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what is the total expenditure incurred on the construction of Daman-Diu-Dadra Nagar Haveli Secretariat in Daman;

(b) whether it is a fact that the contract for the project was awarded to a blacklisted contractor; and

(c) if so, what are the reasons therefor stating the outcome of the inquiry made by Government into the irregularities in awarding the contract for the Secretariat building ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON) : (a) A total expenditure of Rs. 1,40,77,576 has been incurred till date on the construction of the Secretariat building for Daman & Diu Dadra Nagar Haveli at Daman by the Union Territory Administration.

(b) The U.T. Administration have intimated that the contract has not been awarded to a blacklisted contractor.

(c) Does not arise.

"हुडकों" के पास लंबित परियोजनाएं

1738. **श्री अजीत जोगी :**

श्री राधा किशन मालवीय :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की आवास समस्याओं को हल करने के लिए उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो आवास तथा शहरी विकास निगम "हुडको" के पास विचाराधीन है;

(ख) क्या "हुडको" ने इन परियोजनाओं के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) हुडको द्वारा स्कीमें स्वीकृत करने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है और साथ ही यह उस राज्य के लिए किये गये स्कीमवार नियतनों में से निधियों की उपलब्धता तथा उस स्कीम के लिए हुडको के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पादक एजेंसियों द्वारा सभी अपेक्षित औपचारिकताओं को सन्तोषप्रद रूप से पूरा करने पर निर्भर करता है।

चालू वित्त वर्ष (31-1-94 की स्थिति के अनुसार) बताया गया है कि हुडको ने 37.09 करोड़ रुपये के ऋण के वायदे के साथ मध्य प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 38 परियोजनाएं स्वीकृत की है। ये परियोजनाएं पूर्ण होने पर 6790 रिहायशी एकक तथा 5413 विकसित भूखण्ड उपलब्ध करेगी। इसके अलावा 31-1-94 की स्थिति के अनुसार 32.25 करोड़ रुपये की ऋण राशि के लिए 25 परियोजनाओं पर हुडको में कार्यवाही चल रही है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं।

विवरण

आवास तथा शहरी विकास निगम हुडको के पास विचाराधीन परियोजनाओंका ब्यौरा

क्रम सं०	स्कीम का नाम	ऋण राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
1	रायपुर में एम० आई० जी० आवास योजना	161.43
2	कटोरा तालाब रायपुर में कम्पाजिट आवास योजना	228.10